815

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांकः /1349/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक जुलाई, 19

प्रति,

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय- राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार/जाँच हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29-6-2019.

—*—

लेख है कि विषयान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की बैठको के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25 अगस्त 2014 की प्रति संलग्न है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांकः 1058 /1349/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 31/8/19 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि,

उपसंचालक (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की ओर उनके पत्र क्रमांक 4/एम.आर./19/सेल-2/मान्यता दिनांक 28-6-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

31-8-19

अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

31/08/19

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक:1496/1097/2014/नियम/चार भोपाल, दिनांक25 अगस्त, 2014

प्रति,

(1) प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/
चिकित्सा शिक्षा विभाग

(2) आयुक्त (स्वास्थ्य)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय - राज्य के बाहर/राज्य के अन्दर निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं के उपचार/परीक्षण हेतु नवीन मान्यता/मान्यता में वृद्धि संबंधी नीति ।

शासकीय सेवकों के राज्य के बाहर तथा राज्य के अन्दर निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को नवीन मान्यता/मान्यता में वृद्धि के अनुमोदन हेतु गठित समिति की अनुशंसा उपरान्त वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । अतः प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता संबंधी समिति के द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण में निम्नांकित सिद्धान्तों/तथ्यों के आधार पर विचार कर अनुशंसित प्रस्तावों को मान्य करने एवं तदनुसार आदेश जारी करने हेतु अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभाग (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा) को प्रत्यायोजित किए जायें ।

2/ उपर्युक्त प्रत्यायोजन के उपरान्त केवल ऐसे प्रस्ताव ही वित्त विभाग को भेजें जाएं जिनमें निर्धारित सिद्धान्तों से विचलन की स्थिति हो ।

3/ निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता के लिए निम्नांकित सिद्धान्तों/तथ्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये :-

(1) निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं में उपचार/परीक्षण हेतु नवीन मान्यता/मान्यता में वृद्धि की अधिकतम अवधि 3 वर्ष अथवा नगर निगम की पंजीयन अवधि/अन्य वैधानिक पंजीयन अवधि जो भी पूर्व हो तक के लिये होगी ।

(2) राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर ऐसे निजी चिकित्सालय द्वारा उसी दर से फीस/चार्जेस लिये जायेगें जो राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हैं ।

(3) उन्ही बीमारियों/इलाज हेतु मान्यता दी जायेगी जो सुविधायें/इलाज राज्य के शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है ।

(4) अनुमोदित दरें राज्य के अन्य अशासकीय चिकित्सालयों में उसी उपचार हेतु मान्य दरें हैं ।

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग